

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

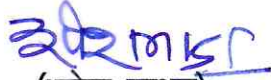
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/आर-347/2013/अलेसे-III/292

दिनांक:- 22.2.2022

कार्यालय आदेश

श्री राकेश सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (मेरिट नं 347/2013) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द को दिनांक 10.12.2021 से 15.11.2022 तक तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द के साथ-साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर.के. राजकीय चिकित्सालय, राजसमन्द में कनिष्ठ लेखाकार के पद का अतिरिक्त कार्य संपादित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 10.12.2021 से 15.11.2022 तक का राजस्थान सेवा नियमों के नियम-35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (पद रिक्ति दिनांक से अधिकतम 6 माह तक) नियमानुसार एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/आर-347/2013/अलेसे-III/292

दिनांक:- 22.2.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर.के. राजकीय चिकित्सालय, राजसमन्द।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री राकेश सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीटा/रक्षित/निजी पत्रावली।


(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)